

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

रामबाई बनाम रामकिशोर वगै०

किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मु.न. 179/2025

<p>तारीख हुकम</p>		<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए</p>
-------------------	--	---

26.11.2025

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र मय दस्तावेजों की नकलो की छाया प्रतिया संलग्न कर जरिये प्रार्थी अधिवक्ता श्री धर्मसिंह बैरवा एड० द्वारा पेश किया गया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की प्रा० अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतरिम अनुतोष पर एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस का मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों की छायाप्रतियों का अवलोकन किया गया हमने प्रथम दृष्टया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर यह पाया कि प्राईमा फैसी केस , सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगणों को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को इस आशय कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि तहसील सिकराय जिला दौसा ग्राम गीजगढ़ ए के खसरा नम्बर 2230, 2236, 2243, 2245, 2244 में आगामी पेशी तक विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाएं रखें एवं किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन से की जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार तामील अप्रार्थीगण दिनांक 07.01.2026 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

12/12/25 प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र विद्वां बावन पेश
 डिमें जाने पर पत्रावली तलब ही गई। प्रार्थी अधिवक्ता
 द्वारा शपथ पत्र विद्वां के आधार पर
 खारिज डिमें जाने का निवेदन किया।
 अतः शपथ पत्र खारिज किया
 जाना ही पत्रावली केसल सुमार देकर
 नम्बर से सम है।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

with draw
 के आधार पर
 खारिज किए
 जावे।
 12/12/25